

१५/१०/२५

अधिवक्ता अपीलेंट अनुपास्थित) रैस्थौ. उपास्थित) उकरण
में अपीलेंट व उनत्रै अधिवक्ता को न्यायालय
की ओर से बारु बार आवाये लगाने के बावजूद
उरै उपास्थित नहीं आया। अतः पत्रावली अदम
लाचिरी अदम पैरवी में खासिष की पाली है।
पत्रावली पैराल सुमार लेकर बाद आवश्यक
कार्यवाही हासिल दुफर ले।